

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 202/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>गणेशीबाई</u> पति श्री <u>उदयराम जी डांगी</u></p> <p>निवासी- <u>मायरा 9 जॉर ह (13)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>माताजी की ओरडी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>742, 743, 744</u> <u>745, 761, 762, 763, 764, 765</u> <u>0.21 0.15 0.18 0.17 0.05</u></p> <p>कुल कीता <u>9</u> कुल रकबा <u>1.9500</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p><u>माताजी की ओरडी (पण्डो सरनिप्रापंच)</u> अतः प्रार्थी की ग्राम स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>742, 743, 744, 745, 761, 762, 763</u> <u>764, 765</u> <u>0.21 0.15 0.18 0.17 0.05 0.17 0.05</u></p> <p>कुल कीता <u>9</u> रकबा <u>1.9500</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500/-</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पांच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>१०</u> (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>